प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर..... थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर..... वर्ष 2023.....
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199 /2023 दिनांक 21.07.2023

2. (I) **अधिनियम**....धारायें:–.....7 .....भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018.....

(II) **अधिनियम** .....भा0दं0सं0.....धारायें .....120बी.....

(III) अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** .....

3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या** 959 **समय** 7.30PM

(ब) अपराध घटने का वार.....बुधवार.....दिनांक....19.07.2023 **समय** .....पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 03.07.2023

4. **सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक–** लिखित

5. **घटनास्थल** :– रेल्वे स्टेशन, जयपुर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पश्चिम–उत्तर दिशा में करीब 7.5 कि0मी0

(ब) पता रेलवे स्टेशन, जयपुर

.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....**जिला** .....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :–**

(अ) **नाम:–** श्री वसीम कुरैशी

(ब) पिता/पति का नाम:– श्री युसुफ कुरैशी

(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 38 साल.....

(द) राष्ट्रीयता:– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या:– जारी होने की तिथि ....**जारी होने की जगह** .....

(र) व्यवसाय:– ठेकेदार

(ल) पता:– .न. 56 कुरैशी कोलोनी खेतड़ी हाउस रोड चॉदपोल बाहर जयपुर

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**

1. श्री विकास कुमार मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 45 साल निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी क्वार्टर नम्बर 124–बी, रेलवे कॉलोनी सीकर हाल मुख्य स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर (उत्तर–पश्चिम रेलवे)
2. श्री लखन राम मीणा पुत्र श्री कदूराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 49 साल, निवासी ग्राम कमलपुरिया डोरवाली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, हाल मुख्य स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई, दौसा।

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**
रिश्वती राशि 40000/–रूपये

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :–** रिश्वती राशि 40000/–रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** .....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

महोदय,

दिनांक 03.07.2023. समय 2.00 पीएम पर श्री वसीम कुरैशी का प्रार्थना पत्र श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, विशेष अनुसंधान इकाई,भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पृष्टांकन कर परिवादी व साथ आये व्यक्ति से परिचय करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि " सेवामें,श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालाना, जयपुर।विषय– रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम वसीम कुरैशी S/O श्री युसुफ कुरैशी उम्र–38 साल निवासी म.न. 56 कुरैशी कोलोनी खेतड़ी हाउस रोड चॉदपोल बाहर जयपुर का निवासी हू। मैं मैसर्स इंसाफ अली एण्ड कम्पनी कोटा के नाम से फर्म मै काम करता हू। सन 2019 मे बांदीकुई जंक्शन मे रेल्वे स्टेशन की रैक पिकिग(पटटी पर से कचरा उठाना)स्टेशान एवं रेल्वे ट्रेक के साफ सफाई का 20–20 दिन का दो कोटेशन करीब 5 लाख के लगभग का जारी करवाया था। उक्त कार्य तय समय मे हमारी फर्म द्वारा पूरा कर लेबर को पूरा पेमेण्ट दे दिया था।फर्म मैसर्स इंसाफ अली एण्ड कम्पनी के मालीक इंसाफ अली है। फर्म द्वारा लेबर को किया गाया पेमेण्ट का रेवेन्यू टिकट युक्त मस्टरोल पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे। उक्त मस्टरोल मय टेण्डर बिल दोनो बिल समस्त दस्तावेज संलग्न कर CHI बांदीकुई लखन राम मीणा को प्रस्तुत कर दिये थे।मेरे उक्त दोनो 5 लाख के बिल का भुगतान के बदले CHI बांदीकुई लखन राम मीणा तत्कालीन CHI विकास मीणा और हमारी फर्म का सुपरवाईजर सियाराम मीणा के साथ मिलीभगत करते हुए 80 हजार रूपये की रिश्वत लेबर को पेमेण्ट करने के नाम पर मांग रहे हैं। जबकि मेरा लेबर का किसी भी प्रकार का पेमेण्ट बाकी नही है। मै उक्त रिश्वत नही देकर उपरोक्त भ्रष्ट लोक सेवको को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरा श्री लखन राम मीणा विकास मीणा, सियाराम मीणा से किसी प्रकार का लेन देन बाकि नही है और ना ही मेरी इनसे कोई रंजिस है भ्रष्ट लोक सेवको को रंगे हाथों पकडकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी प्रार्थी wasim Qurshi s/0 yusuf qurshi 38 age H.NO- 56 Qurshi Colony Khetri House Rood Chandpole Jaipur 8824445877 dated .3/07/2023" आदि पर अपने कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख से लिखा होना बताकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। मामला रिश्वत मांग का होने से सत्यापन रिश्वत मांग करवाना उचित प्रतीत होता है। मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि. 486 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में बताया गया एवं कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मंगवा कर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में 32 जी.बी. का मेमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी व श्री मनीष सिंह कानि0 486 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधी समझाईस की गई। परिवादी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कल दिनांक 04.07.2023 को सुबह 8.00 एएम पर बांदीकुई जाने की कहने पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री मनीष सिंह कानि.486 को सुपुर्द कर श्री मनीष सिंह कानि. को परिवादी के बताये स्थान पर सुबह 8.00 एएम पर मिल कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने की हिदायत की गई एवं परिवादी व श्री मनीष सिंह कानि.486 को गोपनीयता की हिदायत कर परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 04.07.2023 को श्री मनीष सिंह, कानि0 ने मन निरीक्षक पुलिस को फोन कर बताया कि आज परिवादी की संदिग्ध अधिकारी से वार्ता हुई है जिसे डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है। दिनांक 05.07.2023 को श्री मनीष सिंह, कानि0 ने कार्यालय में उपस्थित होकर डीवीआर सुपुर्द कर बताया कि कल परिवादी ने मुझे बताया था कि मैं जैसे ही रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में गया तो संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय कार्यालय में ही उपस्थित था जिससे मैंने मेरे काम की बात की लेकिन संदिग्ध अधिकारी द्वारा पुनः लंच बाद 4.00 पीएम पर मिलने की कहने पर वहीं इन्तजार किया लेकिन 4.00 पीएम पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा ट्रेन से जयपुर के लिये रवाना होने पर संदिग्ध अधिकारी से जयपुर जंक्शन पर मिलकर मेरे काम के सम्बन्ध में बात की जिसे मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली। मेरे द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी की बातों की ताईद हुई।

परिवादी से जरिये मोबाइल वाट्सअप काल वार्तालाप होने पर श्री वसीम कुरेशी ने बताया की मैं मेरे काम से कल दिनांक 06.07.2023 को फ्री हो जाउंगा तथा संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि लेकर दिनांक 07.07.2023 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की जानी वाली प्रक्रिया हेतु ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने व गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 06.07.2023 को कार्यवाही हेतु तलबीदा गवाह श्री कृष्ण कुमार राजावत पुत्र श्री किरण सिंह जाति राजपुत उम्र–45 वर्ष निवासी–ग्राम गोलाकाबास तहसील राजगढ जिला अलवर हाल–निरीक्षक कार्यालय रिकॉर्ड रूम,भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर व श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री रामअवतार जाति–कुम्हार उम्र–25 वर्ष निवासी–ईदगाह कॉलोनी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल–निरीक्षक कार्यालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी–पंचम,जयपुर उपस्थित आए जिनसे कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर सहमति दिये जाने पर आवश्यक समझाईश के साथ रवाना किया। दिनांक 06.07.23 को ही परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर बताया की श्री लखनराम मीणा ने मुझे फोन कर मेरे बिलों के सम्बन्ध में कल दिनांक 07.07.2023 को डीआरएम ऑफिस जयपुर में आना बताकर मुझे भी मिलने के लिए बुलाया है। इस पर परिवादी को कल प्रातः रिश्वती राशि की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 07.07.2023 को दोनों गवाहान व परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने पर उनका आपसी परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढाया जाकर स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद दिनांक 07.07.23 को समय 11.00एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री वसीम कुरैशी पुत्र श्री युसुफ कुरैशी उम्र–38 साल निवासी म.न. 56 कुरैशी कोलोनी खेतड़ी हाउस रोड चॉदपोल बाहर जयपुर से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी श्री लखन राम मीणा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री वसीम कुरैशी ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 40,000/–रूपये जिनमें (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट राशि 10,000/–रूपये एवं 30,000/–रूपये भारतीय मनोरंजन बैंक के पॉच–पॉच सौ रूपये के 60 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के कुल चालीस हजार रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द पेशकसी नोट एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित किये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त रिश्वती राशि 40,000/–रूपये जिनमें (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट राशि 10,000/–रूपये एवं 30,000/–रूपये भारतीय मनोरजंन बैंक के 60 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के कुल चालीस हजार रूपये के नोटों पर श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री सुन्दर सिंह से परिवादी श्री वसीम कुरेशी की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 40,000/–रूपये जिनमें (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट राशि 10,000/–रूपये एवं 30,000/–रूपये भारतीय मनोरजंन बैंक के 60 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के कुल चालीस हजार रूपये संदिग्ध अधिकारीगण/कर्मचारी को देने हेतु परिवादी के पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और

रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9829223391 पर मिसकॉल/फोन कर तथा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट किया गया तथा श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैपबॉक्स में रखी खाली शीशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने शर्ट की उपर की जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त काम में लिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकालकर सुपुर्द किया गया तथा श्रीमती निधि म. कानि.नं.86 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी श्री वसीम कुरैसी से संदिग्ध अधिकारी श्री लखन राम मीना के मोबाइल पर फोन करवाया गया लेकिन संदिग्ध अधिकारी ने फोन काट दिया, जिस पर उसका फोन आने का इंतजार किया गया। काफी देर तक फोन नहीं आने पर परिवादी के यह कहने पर कि मैं डीआरएम ऑफिस में जाकर श्री लखन राम मीणा से मिलुँगा तो वह मुझसे रिश्वती राशि प्राप्त करेगा। इस पर परिवादी को डीआरएम ऑफिस रवाना करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 07.07.2023 को समय 2.30पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान मय कानि. श्री अमित ढाका कानि 489 श्री पन्नालाल कानि. 09, श्री मनीष सिंह,कानि.486, श्री विनोद कानि.242 श्री सुभाष मील कानि. 465, श्री कमलेश कानि0 293 सहायतार्थ श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस के मय सरकारी वाहन मय चालक मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के वास्ते अग्रिम कार्यवाही के लिये ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से रेल्वे स्टेशन जयपुर स्थित डीआरएम ऑफिस के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान परिवादी श्री वसीम कुरैसी के मोबाइल फोन से संदिग्ध अधिकारी श्री लखनराम मीना को फोन पर वार्ता करवायी गई जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि मैं डीआरएम ऑफिस तेरे काम के लिए ही बैठा हूँ तु सील साइन लेकर डीआरएम ऑफिस आ जा। कुछ समय पश्चात पुनः संदिग्ध अधिकारी का वाट्सअप काल परिवादी के पास आया एवं परिवादी को कहा कि "गाड़ी निकल गई है आप डीआरएम कार्यालय रेलवे स्टेशन, जयपुर आ जाओ।" उक्त वार्ताओं को परिवादी के मोबाईल फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय से रवाना होकर समय 03.05पीएम पर डीआरएम ऑफिस

रेलवे स्टेशन, जयपुर के बाहर पहुंचा। जहां परिवादी व श्री मनीष कानि0 को समझाईश कर संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि दिए जाने के लिए डीआरएम ऑफिस के लिए डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर रवाना किया। मन निरीक्षक पुलिस मय शेष जाप्ता भी उक्त कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकिम हुए। कुछ समय पश्चात परिवादी एक व्यक्ति के साथ डीआरएम कार्यालय से निकलकर रेलवे स्टेशन के अन्दर प्रवेश कर गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस जाब्ता मय गवाहान के डीआरएम कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के पीछे–पीछे अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया तथा परिवादी के निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकिम हुए। थोडी देर बाद परिवादी उक्त व्यक्ति के साथ रेलवे स्टेशन से बांदीकुई, दौसा की तरफ जाने वाली ट्रेन में चढ गये तथा ट्रेन रेलवे स्टेशन से रवाना होने लगी। जिस मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ परिवादी पर निगरानी रखते हुये उक्त ट्रेन में चढ गये तथा परिवादी के आस–पास ही अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकीम हुये। तत्पश्चात् थोडी ही देर में ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही नहीं थी कि परिवादी अचानक चलती हुई ट्रेन से नीचे उतर गया। चूंकि धीरे–धीरे ट्रेन की स्पीड बढने के कारण मन् निरीक्षक पुलिस ने हमराहियान को अगले स्टेशन पर उतरने की हिदायत कर जरिये दूरभाष परिवादी से सम्पर्क कर पूर्व से सुपुर्द डीजीटल वॉयसरिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखने तथा स्टेशन गांधीनगर पर पहुंचने की आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात गांधीनगर रेलवे स्टेशन आने पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन के बाहर आये तथा परिवादी के आने के इंतजार में मुकिम हुये। समय 5.30 पीएम पर परिवादी श्री वसीम कुरैशी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर बताया कि मै डीआरएम ऑफिस में जाकर श्री लखनराम मीना से मिला। डीआरएम ऑफिस में बिल दिखाने पर बताया कि इन बिलों में विकास ने साईन नहीं कर रखे हैं, एमबी अधूरी है। मैं विकास से बात करूंगा उसके साइन होंगे। श्री लखन राम मीना ने कहा कि डीआरएम ऑफिस वालों ने कहा है कि लेबर के काम को विकास सर्टिफाईड करेगा। विकास के टाइम का काम है। इस पर मैंने कहा कि सीट पर आप हो तो आप ही करोगे। तब श्री लखनराम मीना ने कहा कि सीट पर होने से क्या है साइन तो विकास को करने है, सीट पर होने से ही तो बिल पास करवाने के लिए चक्कर काट रहा हूं। परिवादी से बंद किया हुआ डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें परिवादी तथा संदिग्ध के मध्य की वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी की जेब में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री सुन्दर सिंह से निकलवाकर एक कागज के लिफाफे में रखवा कर उसके पास सुरक्षित रखवाये। परिवादी को आईन्दा संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पर्क करने पर मन निरीक्षक पुलिस को सूचित करने की समझाईश कर रूकसत किया। मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैपपार्टी के वापस ब्यूरो मुख्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा, ट्रैपबॉक्स, प्रिन्टर, लैपटाप कार्यालय में रखवाये तथा गवाह श्री सुन्दर सिंह के पास लिफाफे में मौजूद रिश्वती राशि को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में गवाह से रखवाये गये। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में आज दिनांक 07.07.23023 को परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई वार्ताओं की आईन्दा फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार करने हेतु डीवीआर सुरक्षित आलमारी में रखवाया गया। दोनों गवाहान को आईन्दा परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर कार्यवाही किये जाने पर उपस्थित आने एवं मामले की गोपनीयता बनाए रखने की समझाईश कर रूकसत किया।

दिनांक 13.07.2023 को 2.25पीएम पर परिवादी श्री वसीम कुरैसी ने जरिये मोबाइल सम्पर्क कर बताया कि विकास मीना ने अपने मोबाइल नम्बर 9462817591 से 1. 58पीएम पर तथा मोबाइल नम्बर 9001199534 से 1.59पीएम पर मेरे मोबाइल नम्बर 8824445877 पर कॉल किया था किन्तु मैं फोन उठा नहीं पाया। तब समय 2.16पीएम पर मैनें विकास मीना के मोबाइल नम्बर 9001199534 पर कॉल किया तो उसने मुझसे बिलों के भुगतान के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि आपके कारण बिल अटक रहे हैं। तो विकास मीना ने

कहा कि मैं कल इलाहबाद वाली गाड़ी से जयपुर आ रहा हूं, फिर मेरे साथ बांदीकुई चलना, तेरे बिलों का काम करवाता हू। परिवादी के उक्त कथन पर परिवादी को दिनांक 14.7.2023 कार्यालय समय पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने की समझाईश की गई। इस पर पूर्व के पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुन्दर सिंह व कृष्ण कुमार राजावत को कल दिनांक 14.07.23 को कार्यालय पहुंचने की हिदायत की तो श्री कृष्णकुमार राजावत ने बताया कि मुझे कल हमारे कार्यालय की ओर से पूर्व से किसी अन्य राजकार्य हेतु पाबन्द कर रखा है इसलिए मैं कल एसीबी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूं। दिनांक 14.07.2023 को परिवादी श्री वसीम कुरैसी कार्यालय में उपस्थित आया, जिसे कार्यालय में बिठाया गया। परिवादी ने बताया कि आज समय 1.26पीएम पर श्री विकास मीना ने मुझे अपने मोबाइल से कॉल किया लेकिन मैं व्यस्त होने से मोबाइल पर बात नहीं कर सका इसके बाद मैंने 1.41 पीएम पर मेरे द्वारा विकास जी का मिलसकॉल आया हुआ देखने पर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज गाडी से जयपुर आ रहा हूं आप तीन बजे स्टेशन मिलना, बांदीकुई साथ ही चलेंगे। जिस पर कार्यालय हाजा द्वारा अन्य गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबन्दशुदा गवाहान श्री महेश बड़गुर्जर के मोबाइल नम्बर 8290328071 पर कॉल कर सीधे ही जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिलने की समझाईश की गई। इसी दौरान पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री सुन्दर सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसे कार्यालय मे बिठाया गया। इसके बाद समय 02.10पीएम पर गवाह श्री सुन्दर सिंह, निरीक्षक से परिवादी श्री वसीम कुरैसी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास मोबाइल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु/राशि नहीं रहने दी गई तथा इसके बाद कार्यालय में उपस्थित श्रीमती निधि महिला कानि0 को बुलाकर कर कार्यालय की आलमारी में लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि बाहर निकलवायी गयी तथा उक्त राशि को परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवायी गई। श्रीमती निधि के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाए गए तथा उसे कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई । परिवादी को रिश्वत के आदान प्रदान के समय होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के लिए पूर्व में उक्त मामले में रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ताओ को रिकॉर्डर करने हेतु काम में लिया जा रहा डीवीआर सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 02.30पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस मय परिवादी, ट्रैपपार्टी सदस्य श्री अमित ढ़ाका, कानि0 489, श्री कमलेश कानि0 293, श्री मनीष सिंह कानि0 486 के जरिये सरकारी वाहन के रेलवे स्टेशन जयपुर के लिए रवाना हुआ तथा श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, मय श्री सज्जन कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री विनोद कानि0 श्री सुभाष मील, कानि0, श्री पन्नालाल कानि. 09 मय गवाह श्री सुन्दर सिंह को सहायतार्थ मय ट्रैपबॉक्स, लैपटॉप–प्रिन्टर के जरिये सरकारी मिनीबस के बांदीकुई रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने का निवेदन कर रवाना किया गया। मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रेलवे स्टेशन जयपुर के आगे पहुंचा जहा गवाह श्री महेश बड़गुर्जर उपस्थित मिला, जिसे अपना परिचय देकर पूर्ण नाम पता पूछा तो गवाह ने अपना नाम श्री महेश बड़गुर्जर पुत्र स्व. श्री शिवपाल बड़गुर्जर जाति–खटीक उम्र– 49 साल निवासी–1/125 विधाधर नगर जयपुर हाल–वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प्रशासन),जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज.जयपुर होना बताया। जिस पर गवाह का परिवादी से परिचय करवाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर अपनी स्वेच्छा से मौखिक सहमति दी। चूंकि परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री विकास मीणा सीकर से प्रयागराज ट्रेन से आ रहा है इसलिये रेलवे स्टेशन से टिकट खरीद कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ रेलवे स्टेशन, जयपुर में प्रवेश किया तथा प्रयागराज ट्रेन के इंतजार मे रेलवे स्टेशन पर मूकिम हुये। कुछ ही समय में प्रयागराज ट्रेन रेलवे स्टेशन जयपुर पर आकर रूकी। तब परिवादी से संदिग्ध अधिकारी को परिवादी से स्पीकर ऑन कर अपने मोबाइल फोन से श्री विकास मीना के मोबाइल फोन पर वार्ता करवायी गई तथा उक्त वार्ता को श्री मनीष सिंह कानि0 द्वारा डीवीआर ऑन कर वापस परिवादी को देकर उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करवाया गया। वार्ता में श्री विकास ने परिवादी से कहा कि आप मथुरा पैसेंजर में चढ़ जाओ ओर गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उतर जाना वहां मुझे कोई काम है, जो काम पूरा करके इलाहबाद या पूजा (जम्मूतवी) से बांदीकुई चलेंगे। थोडी देर बाद परिवादी ने संदिग्ध श्री विकास मीणा से

फोन पर वार्ता करते हुये प्रयागराज की बजाय रेलवे स्टेशन पर खडी मथूरा पैसेन्जर ट्रेन में चढ गया, मन् निरीक्षक पुलिस हमराहियान के साथ परिवादी के पीछे–पीछे मथूरा पैसेन्जर ट्रेंन में चढ गये तथा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। चूंकि परिवादी संदिग्ध अधिकारी के साथ रेलवे स्टेशन से बांदीकुई जा रहा है, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस भी हमराहियान के साथ परिवादी के पीछे–पीछे ट्रेन में जा रहे है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक टीम पूर्व में बांदीकुई हेतु रवाना हो चुकी है। इसलिये जिस सरकारी वाहन से मन् निरीक्षक पुलिस मय टीम के साथ रेलवे स्टेशन आये थे उक्त सरकारी वाहन के चालक को एसीबी कार्यालय रवाना होने की हिदायत की गई। जयपुर रेलवे स्टेशन से गांधीनगर, बादीकुई की तरफ जाने वाली मथूरा पैसेन्जर ट्रेन में चढकर परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उतर जाने से मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, हमराह जाब्ता व गवाह महेश बडगूजर मथुरा पैंसेजर ट्रैन में चढकर गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर उतर गये। गांधी रेलवे स्टेशन पर परिवादी वसीम कुरैसी से संदिग्ध अधिकारी विकास मीना मिला तथा थोडी देर इंतजार करने की कहकर एक क्वार्टर में चला गया। मन निरीक्षक पुलिस मय टीम गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए संदिग्ध अधिकारी का इंतजार करते रहे। श्री मनीष कानि0 को परिवादी के पास में रहकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा बांदीकुई चलने के लिये कहने पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द करने की हिदायत की गई। कुछ समय पश्चात प्रयागराज ट्रेन गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर आकर रूकी एवं बादीकुई की ओर रवाना हो गई। किन्तु संदिग्ध अधिकारी क्वार्टर से नहीं आया। थोडी देर पश्चात जम्मूतवी के रेलवे स्टेशन पर आने से पहले रेलवे स्टेशन पर उक्त गाडी के थोडी देर में आने की घोषणा होने पर कानि0 श्री मनीष सिंह द्वारा परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालूकर सुपुर्द किया गया। इसी दौरान संदिग्ध अधिकारी भी रेलवे स्टेशन पर उपस्थित आया जिस पर परिवादी संदिग्ध अधिकारी के पास में जाकर वार्ता करने लगा तथा जम्मतवी के रेलवे स्टेशन पर आने पर परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी उक्त ट्रेन में चढ गये, जिस मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान भी परिवदी तथा संदिग्ध अधिकारी से कुछ दूरी बनाते हुये ट्रेन में चढ गये। ट्रैन बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां परिवादी श्री वसीम कुरैसी एवं उसके साथ संदिग्ध अधिकारी श्री विकास मीना भी ट्रैन से उतर कर बात करते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर की ओर रवाना हो गये, जिनके पीछे पीछे कुछ दूरी बनाते हुए मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान को रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन के बाहर पूर्व से मुख्यालय से रवानाशुदा टीम भी उपस्थित मिली, जिनसे भी जरिये दूरभाष सम्पर्क कर परिवादी तथा उसके साथ में चल रहे संदिग्ध व्यक्ति पर निगरानी रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर गेट के पास बने स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के ऑफिस में जाकर थोडी देर बाद रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर वार्ता करने लग गये। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान भी परिवदी से कुछ दूरी बनाते हुये अपनी उपस्थिति की छुपाव करते हुये रेलवे स्टेशन के बाहर मूकीम हुये। काफी समय पश्चात संदिग्ध अधिकारी परिवादी को रेलवे स्टेशन के बाहर छोडकर किसी व्यक्ति के पीछे मोटरसाईकिल पर बैठकर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गया। इसके बाद समय 7.02 पीएम पर परिवादी मन निरीक्षक पुलिस के पास आया एवं डीवीआर को बंद कर मुझे सुपुर्द करते हुए कहा कि संदिग्ध अधिकारीगण श्री विकास मीणा तथा श्री लखन राम मीणा मोटरसाईकिल पर बैठकर चले गये है तथा मुझे कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा है। इस पर परिवादी को वहीं उपस्थित होकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा बुलाये जाने का इंतजार करने के लिए कहा तथा मन निरीक्षक पुलिस भी परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुए टीम सहित आस–पास मुकिम हुए। समय करीब 8.00 बजे परिवादी वसीम कुरैसी मन निरीक्षक पुलिस के पास चल कर आया तथा अवगत कराया कि अब देर रात्रि का समय हो चुका है सम्भव है कि संदिग्ध अधिकारी घर पर चले गये है तथा वह अब मुझसे मिलने के लिये नहीं आये। जिस पर परिवादी से संदिग्ध अधिकारी श्री विकास मीणा के मोबाईल फोन पर स्पीकर को ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर फोन करवाया गया तो संदिग्ध अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं किया। तत्पश्चात समय 08:04 पीएम, 08:07 पीएम तथा 09:06 पीएम पर पुनः कॉल करवाया गया तब

भी संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी के फोन को रिसीव नहीं किया। इसके प्श्चात परिवादी के मोबाईल फोन पर मोबाईल नम्बर 9772343955 से फोन आया जिसको परिवादी द्वारा रिसीव नहीं किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यह लखन राम मीणा का खास व्यक्ति मलखान का फोन आ रहा है। सम्भव है कि वह भी उनके साथ में ही है। जिस पर समय 09:12 पीएम परिवादी से मलखान के उक्त के मोबाईल फोन पर स्पीकर को ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर फोन करवाया गया तो श्रीमलखान ने कहा कि श्री लखनराम मीणा जी ने कहा है कि आपका काम हो जायेगा आप जयपुर चले जाओ। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। इसके बाद समय करीब 9.30पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के बांदीकुई से रवाना होकर मय ट्रैपबाक्स, लैपटॉप–प्रिन्टर के एसीबी मुख्यालय पहुंचा। ट्रैपबॉक्स एवं सामान को कार्यालय में रखवाया गया। परिवादी द्वारा सुपुर्द डीवीआर को सुरक्षित रखवाया गया। डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ताओं की आईन्दा गवाहान व परिवादी के समक्ष सुनकर ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसके बाद गवाह श्री सुंदर सिंह, निरीक्षक से परिवादी की पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशि निकलवाकर उसे एक लिफाफे में रखवाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी श्री वसीम कुरैसी को समझाया कि आईन्दा संदिग्ध अधिकारियों द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने हेतु सम्पर्क करने पर मन निरीक्षक पुलिस से तुरन्त सम्पर्क करे। परिवादी एवं दोनों गवाहान व स्टाफ को मामले की गोपनीय बनाये रखने की समझाईश कर रूकसत किया।

इसके पश्चात् दिनांक 16.07.2023 को परिवादी श्री वसीम कुरैसी ने मन निरीक्षक पुलिस को फोन करके बताया कि मुझें लखन राम मीणा ने फोन कर कहा है कि श्री विकास बांदीकुई आया था लेकिन बिलो पर साईन किये बिना ही वापस चला गया, और तू भी मुझसे बिना मिले ही जयपुर चला गया। अभी कुछ समय पहले मेरे पास विकास जी का फोन आया है उन्होंने मुझे मेरे बिलो के सम्बंध में जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिये बुलाया है। जिस पर मैंने परिवादी को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व श्री मनीष सिंह कानि0 सं सम्पर्क करने की हिदायत की। कानि0 श्री मनीष सिंह को कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही करने की हिदायत की गई। बाद सत्यापन श्री मनीष सिंह, कानि0 ने समय 04.28पीएम पर जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि निर्देशानुसार मैंने कार्यालय से डिजीटल वॉसस रिकॉर्डर लेकर रेलवे स्टेशन जयपुर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क किया जहां पर मैंने परिवादी के कहे अनुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देकर उसे संदिग्ध अधिकारी श्री विकास मीणा से वार्ता करने हेतु रवाना कर दिया। कुछ समय प्श्चात् परिवादी मेरे पास आकर रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर मैंने रिकॉर्डर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि मैंने संदिग्ध अधिकारी से मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता की है जो इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। विकास ने एक दो दिन में जयपुर या सीकर आकर मिलने के लिये कहा है। तत्पश्चात् कानि0 मनीष को परिवादी को कार्यालय में लेकर आने की हिदायत की गई जिस पर मनीष ने बताया कि परिवादी अपने निजी कार्य होने के लिये कह कर आईन्दा कार्यालय में उपस्थित होने के लिये कह रहा है। जिस पर कानि0 को परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखसत करने की हिदायत की गई तथा कानि0 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित लॉकर प्रस्तुत करने की हिददात की गई। जिस पर दिनांक 17.07.2023 को श्री मनीष सिंह ने रिकॉर्डर लाकर पेश किया। दिनांक 18.07.2023 को समय करीब 02.40 पीएम परिवादी श्री वसीम कुरैसी कार्यालय में उपस्थित आया एवं बताया कि कल विकास जयपुर आ सकता है और मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। इस पर परिवादी को विकास के मोबाइल नम्बर पर फोन का स्पीकर ऑन कर तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चाले कर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध अधिकारी ने कल दिनांक 19.07.2023 को जयपुर आने तथा परिवादी को कार्य करवाने के लिये कहा। जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया

गया। तत्पश्चात् परिवादी को अगले दिन कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 19.07.2023 को 10.50एएम पर परिवादी श्री वसीम कुरैसी ने मन निरीक्षक पुलिस को फोन करके बताया कि अभी कुछ समय पहले मेरें पास विकास जी का फोन आया है तथा उसने मुझे कहा कि लखन जी भी जयपुर आ रहे है, मै भी जयपुर आ रहा हूं आप आधा पौन घंटे में डीआरएम ऑफिस आकर मिलो। इस पर परिवादी को मन निरीक्षक पुलिस ने कहा कि आप तुरन्त एसीबी कार्यालय पहुंचे। जिस पर कुछ समय बाद परिवादी श्री वसीम कुरैसी कार्यालय में उपस्थित होकर मन निरीक्षक पुलिस से मिला तथा कहा कि आज सुबह समय करीब 10.48 एएम श्री विकास मीना जी का मेरे मोबाइल पर फोन आया तथा मुझे कहा कि आप डीआरएम ऑफिस में आधा पोन घंटे में आकर मिलना। इस पर मैंने कहा कि मुझे थोडा समय लगेगा। इसके बाद मैं आपके पास आ गया। परिवादी ने यह भी बताया कि आज श्री विकास जी डीआरएम ऑफिस में मिलने पर मेरे बिल पास करने की एवज में पूर्व से तयशुदा रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। चूंकि परिवादी को संदिग्ध अधिकारी द्वारा आधा पौन घंटा में डीआरएम आफिस बुलाया है इसलिए अविलम्ब परिवादी को साथ लेकर ट्रैप कार्यवाही हेतु डीआरएम आफिस रेलवे स्टेशन जयपुर पहुंचना है। कार्यवाही में पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान कार्यालय से दूर रहने के कारण एसीबी कार्यालय में पहुंचने में समय लगेगा इसलिए ईकाई हाजा में अन्य कार्यवाही हेतु उपस्थित गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री संदीप कुमार निजी सहायक को तलब कर परिचय पूछा तो क्रमश श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत उम्र 27 साल, निवासी मकान नम्बर डी–15, गोविन्द नगर–प्रथम निवारू रोड, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, झालाना डूंगरी, जयपुर एवं श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रतन लाल जाति कुम्हार, उम्र 29 साल निवासी वार्ड नम्बर–1, ग्राम जसरापुर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं हाल निजी सहायक कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक–रसायन, कारखाना एवं बायलर्स, झालाना,डूंगरी जयपुर होना बताया। दोनो गवाहान का परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी का प्रार्थनापत्र पढ़वाया गया तथा परिवादी शिकायत से अवगत कराते हुए रिश्वती राशि मांग सत्यापन के बारे में बताया जिस पर दोनों गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत से संतुष्ट होकर कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की। इस पर गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई गई तथा परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्रीमती निधि महिला कानि0 को बुलाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखी रिश्वती राशि के लिफाफे को निकलवाकर उसमें से रिश्वती राशि निकलवाई गई तथा रिश्वती राशि को परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। लिफाफे को नष्ट कराया गया तथा श्रीमती निधि महिला कानि0 के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये जाकर उसे कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादी को रिश्वत राशि के आदान प्रदान के समय होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के लिए डिजीटल वाईस रिकॉर्ड दिया गया। दोनों गवाहान को भी यथासंभव परिवादी के आस पास रहकर संदिग्ध अधिकारी व परिवादी के बीच होने वाली वार्तालाप को सुनने एवं रिश्वती राशि के आदान प्रदान को देखने का प्रयास करने की समझाईश की गई।

समय 12.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा हमराहियान कानि. श्री अमित ढाका कानि 489 श्री मनीष सिंह कानि. 486 श्री कमलेश कानि0 293, श्री रमजान अली कानि0 466, श्री सुभाष मील कानि. 465 मय सरकारी वाहन मय चालक मय लैपटॉप प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के वास्ते अग्रिम कार्यवाही के लिये ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से कार्यालय रेलवे स्टेशन, जयपुर हेतु रवाना होकर समय करीब 12:40 पीएम पर डीआरएम कार्यालय रेलवे स्टेशन, जयपुर के पास पहुंचा, जहां पर सरकारी वाहन को डीआरएम कार्यालय से कुछ दूरी आगे सडक के किनारे पर खडा करवाया। चूंकि परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी डीआरएम कार्यालय में ही आया हुआ है तथा वह कार्यालय में ही मुझसे रिश्वत की

राशि प्राप्त करेगा। जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी श्री विकास कुमार मीणा से अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने तथा संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत राशि देने के बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता को पूर्व निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी को संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त रिश्वती राशि अपने जेब से निकालकर उसको देने की हिदायत कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर कानि0 श्री मनीष सिंह द्वारा सुपूर्द करवाया जाकर डीआरएम कार्यालय, उत्तर–पश्चिम रेलवे हेतु रवाना किया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री मनीष सिंह कानि0 को भी परिवादी के आस–पास रहकर अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हमराहियान स्वतंत्र गवाहान तथा जाब्ते को डीआरएम कार्यालय के बाहर से ही परिवादी पर निगरानी रखकर अपनी–अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने की हिदायत की गई, मन् निरीक्षक पुलिस भी अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने हेतु डीआरएम कार्यालय के बाहर मुकिम हुआ। कुछ समय पश्चात् परिवादी दो व्यक्तियों से बात करते हुये डीआरएम कार्यालय से निकलकर बाहर आकर डीआरएम कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर सडक के किनारे लगी चाय की थडी पर आकर उन दोनों व्यक्तियों से बात करते हुये चाय पीने लगा तथा चाय पीने के पश्चात् उन दोनों व्यक्तियों के साथ परिवादी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान भी परिवादी से कुछ दूरी बनाते हुये उसके पीछे–पीछे चलने लगे। तत्पश्चात् परिवादी उन दोनों व्यक्तियों के साथ रेलवे स्टेशन, जयपुर में चला गया, मन् निरीक्षक पुलिस तथा हमराहियान ने भी परिवादी से कुछ दूरी बनाते हुये परिवादी पर निगरानी रखते हुये रेलवे स्टेशन मे प्रवेश किया। चूंकि मामले में अग्रिम कार्यवाही तथा परिवादी पर निगरानी रखना आवश्यक होने एवं नियमानुसार रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म टिकट प्राप्त करने में देरी होने की सम्भावना होने के कारण मन् निरीक्षक पुलिस हमराहियान द्वारा प्लेटफार्म टिकट नहीं लिया जाकर परिवादी के पीछे–पीछे परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान को देखने एवं वार्ता को सुनने के लिये रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया गया। जहां पर थोडी ही देर बाद परिवादी उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का सामान लेकर उसको ट्रेन में बैठाने लग गया तथा दूसरा व्यक्ति रेलवे स्टेशन में बने मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के कार्यालय में बैठकर खाना खाने लग गया। इसी दौरान मौका देखकर परिवादी ने जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि जो व्यक्ति मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के कार्यालय में खाना खा रहा है वही संदिग्ध श्री विकास कुमार मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर है तथा जिस व्यक्ति को मैंने गाडी में बिठाया है यह उसके मिलने वाला श्री हिम्मत, स्वास्थ्य निरीक्षक है। जिसे बांदीकुई जाने वाली गाडी में बैठा दिया। वह बांदीकुई रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। श्री विकास कुमार मीणा ने मुझसे अभी रिश्वत की राशि नहीं ली है क्योंकि श्री हिम्मत, स्वास्थ्य निरीक्षक इतनी देर हमारे साथ था सम्भवतया उसके साथ में होने के कारण विकास कुमार मीणा ने मेरे से रिश्वत प्राप्त नहीं की है। वह अब मुझसे रिश्वत की राशि प्राप्त करेगा, अभी वह खाना खा रहा है उसने मुझे थोडी देर बाद बुलाया है। जिस पर हमराहियान जाब्ते एवं गवाहान को अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वाली वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने की हिदायत की गई। कुछ समय पश्चात संदिग्ध श्री विकास कुमार मीणा तथा परिवादी दोनों एक साथ वार्ता करते हुये रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों के रूम के पास बनी हुई गैलेरी से जीआरपी थाना की तरफ निकलकर बाहर गये तथा थोडी देर बाद वार्ता करते हुये बाहर घूमकर वापस उसी गैलेरी से होते हुये रेलवे स्टेशन में चले गये तथा कुछ समय पश्चात दोनों

पुनः रेलवे स्टेशन के पीछे हसनपुरा की तरफ निकलकर घुम फिर कर वार्ता करते हुये रेलवे स्टेशन पर आ गये। मन् निरीक्षक पुलिस हमराहियान भी अपनी–अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के पीछे–पीछे ही रहे। फिर संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों के रूम के पास बनी गैलरी में खडी एक मोटर साईकिल के पास आकर रूक गये तथा आपस में वार्ता करने लग गये। थोडी देर में परिवादी ने अपनी जेब से रिश्वत राशि निकालकर गैलेरी में खडी एक मोटरसाईकिल के आगे की तरफ रख दी तथा वहां से रवाना होकर चला गया। इसी समय 03:10 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी ने फोन कर बताया कि संदिग्ध श्री विकास कुमार मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन सीकर ने मुझसे रिश्वत की मांग कर उसने स्वयं द्वारा दिये गये अखबार मे रिश्वत राशि लपेटकर गैलेरी में खडी मोटरसाईकिल के आगे के हिस्से में रखने के लिये कहा, जिस पर मैने उक्त रिश्वत राशि उस मोटरसाईकिल के आगे के हिस्से में रख दी, श्री विकास कुमार मीणा ने मुझे फिर जाने के लिये कह दिया इसलिये मैं वहां से रवाना हो गया हूं वह अभी मौके पर ही है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने हमराहियान को संदिग्ध अधिकारी पर निगरानी की हिदायत की गई। संदिग्ध अधिकारी ने इधर–उधर देखकर रिश्वत राशि मोटरसाईकिल पर से उठाने का प्रयास किया परन्तु संदेह होने पर मोटरसाईकिल से रिश्वत राशि निकाले बिना ही रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर की ओर तेजी से जाने लगा, जिस पर संदिग्ध अधिकारी को मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाह तथा श्री मनीष कानि ने रोककर अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री विकास कुमार मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 45 साल निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी क्वार्टर नम्बर 124–बी, रेलवे कॉलोनी सीकर हाल मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर (उत्तर–पश्चिम रेलवे) होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री विकास कुमार मीणा को मन् निरीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष पूछा की अभी आपने श्री वसीम कुरैशी से कोई रिश्वती राशि ली है, तो पहले तो संदिग्ध आरोपी श्री विकास कुमार मीणा घबरा गया, फिर तसल्ली देकर पूछा तो उसने बताया कि मैंने श्री वसीम कुरैशी से कोई रिश्वत की ना ही तो मांग की है तथा ना ही प्राप्त की है। जिस पर मौके पर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध श्री विकास कुमार मीणा के पास में खडी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स आरजे 14 एसएक्स 6796 नम्बर की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स को गवाहान से चैक करवाया तो उक्त मोटरसाईकिल के आगे की हेडलाईट के उपर लगे स्पीड मीटर के उपर की तरफ एक अखबार मे लपेटकर रखा हुआ कुछ दिखाई दिया। जिस पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पुनः संदिग्ध अधिकारी को परिवादी से अभी अखबार देकर उसमें रिश्वत राशि रखवाकर प्राप्त करने के सम्बंध में पूछा तो परिवादी घबरा गया तथा कहने लगा कि मेरे बच्चे छोटे है। फिर कहा कि मैंने परिवादी से रिश्वत राशि नहीं रखवाई है यह मेरी मोटरसाईकिल नहीं है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी श्री विकास कुमार मीणा से परिवादी श्री वसीम कुरैशी से जान–पहचान के बारे में पूछा गया तो संदिग्ध श्री विकास कुमार मीणा ने बताया कि मेरी पहले मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, बांदीकुई पर पोस्टिंग थी, उस समय श्री वसीम कुरैशी की फर्म के पास रेलवे स्टेशन की सफाई का ठेका था उस समय से ही इससे मेरी जान–पहचान है। तत्पश्चात् परिवादी के काम के बारे में पूछने पर संदिग्ध श्री विकास कुमार मीणा ने बताया कि अभी मेरे पास इनका कोई काम नहीं है क्योंकि मेरी पोस्टिंग अब रेलवे स्टेशन सीकर पर है। मेरे बांदीकुई पदस्थापन के दौरान का इनका सफाई का कोई बिल बांदीकुई पर लम्बित है जो मेरे पास नहीं है।

तत्पश्चात् परिवादी को मौके पर बुलाने पर परिवादी ने पूर्व में सुपूर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर प्रस्तुत किया, जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद कर अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष ही परिवादी ने बताया कि अभी श्री विकास कुमार मीणा ने मुझसे मेरे सफाई का बिल पास करवाने की एवज में 40,000/– रूपये की मांग कर उक्त राशि हेतु एक अखबार का पेज देकर रिश्वत राशि उसमें लपेटकर देने हेतु कहा था जिसे मैंने इसके कहे

अनुसार ही इसके द्वारा दिये गये अखबार में लपेटकर इनको देने लगा तो इन्होने कहा कि यह राशि इस मोटरसाईकिल में आगे रख दो जिस पर मैंने उक्त राशि इनके कहे अनुसार इस मोटरसाईकिल में रख दी, फिर मुझे इन्होंने जाने के लिये कह दिया तो मैं यहां से चला गया। इन्होने अखबार का पृष्ठ मुझे रेलवे स्टेशन के पीछे हसनपुरा पुलिया की तरफ ले जाकर रिश्वत राशि उक्त अखबार में रखकर देने की कहकर दिया था। तत्पश्चात् रेलवे स्टेशन, जयपुर पर उक्त गैलेरी में खडी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स आरजे 14 एसएक्स 6796 के मालिक के बारे में रेलवे स्टेशन पर पूछताछ करने पर एक व्यक्ति मौके पर उपस्थित आया तथा बताया कि यह मोटरसाईकिल मेरी ही है, जिस मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मणिप्रकाश मीणा पुत्र श्री प्रेम नारायण मीणा उम्र 42 साल निवासी 53, जनकपुरी–2, ईमली फाटक, लालकोठी, जयपुर हाल मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, जयपुर होना बताया, जिस पर श्री मणिप्रकाश मीणा को मोटरसाईकिल में आगे की तरफ स्पीड मीटर के उपर अखबार में लपेटे बंडल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे को पता नहीं की इसमें क्या है यह मेरा नहीं है जब मैं ड्यूटी पर आया था तब मैंने मोटरसाईकिल यहां पर ही खडी की थी। तब मैंने मोटरसाईकिल पर यहां पर कुछ नहीं रखा था यह तो किसी ने बाद में रखी है। जिस पर श्री मणिप्रकाश मीणा को अपने प्रयोजन के बारे में विस्तारपूर्वक समझाईस की गई। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो रिकॉर्डर में परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य आज दिनांक को रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात् परिवादी के बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह से मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स नं0 आरजे 14 एसएक्स 6796 के आगे की तरफ स्पीड मीटर के उपर पडे अखबार मे लपेटे बंडल को उठवाकर चैक करवाया गया तो उसमें से पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट (सभी भारतीय चलन मुद्रा के) कुल 10,000/– रूपये तथा 500–500 रूपये के कुल 60 डमी नोट (मनोरंजन बैंक के) कुल 30,000/– रूपये, इस प्रकार दोनों मुद्राओं के कुल 40,000/–रूपये बरामद होना पाया गया। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। अखबार के पृष्ठ को चेक किया गया तो पाया कि उक्त पृष्ठ आज दिनांक 19 जूलाई 2023 के दैनिक भास्कर, सीकर, बुधवार का 13 (देश–विदेश) नम्बर का पृष्ठ होना पाया गया। बरामदशुदा भारतीय प्रचलित मुद्रा के 500–500 सौ रूपये 20 नोट कुल 10,000/–रूपये एवं शेष रिश्वत राशि के भारतीय मनोरंजन बैंक के सभी 60 नोटों के एक समान नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से दोनों गवाहान से करवाया गया तो सभी नम्बर हूबहू पाए गए। बरामद रिश्वती राशि को गवाह श्री भुपेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाई गई। चूंकि अब तक की मौका कार्यवाही से आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा रिश्वत राशि को हाथों में नहीं लेकर उक्त अखबार का पृष्ट देकर उसमें रखवाकर मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स नं0 आरजे 14 एसएक्स 6796 पर रखवाकर प्राप्त की गई। जहां से दौराने कार्यवाही रिश्वत राशि बरामद हुई, इसलिये आरोपी श्री विकास कुमार मीणा के दोनो हाथों का धोवन नहीं लिया गया। उक्त अखबार को खोलकर अखबार पर सफेद कपडे की चिन्दी को अच्छी तरह से रगडकर (जिस तरफ रिश्वत राशि रखवाकर प्राप्त की गई, पृष्ठ सं0 13 की तरफ) प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में सफेद कपडे की चिंदी का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क C–1 व C–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में माचिस को रखवाकर सील्ड मोहर कर मार्का 'C' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया।

तत्पश्चात आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा परिवादी से मोटरसाईकिल पर रखवाकर प्राप्त की गई रिश्वत राशि, जो दौराने कार्यवाही मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी

डीलक्स आरजे 14 एसएक्स 6796 के आगे से स्पीड मीटर के उपर से बरामद हुई है, 40,000/–रू0 पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट (सभी भारतीय चलन मुद्रा के) कुल 10,000/–रूपये तथा 500–500 रूपये के कुल 60 डमी नोट (मनोरंजन बैंक के, जिन सभी नोटों पर डीयूके 616850 नम्बर अंकित है) 30,000/– रूपये, कुल 40,000/–रूपये, मय बरामद दिनांक 19 जुलाई 2023 के दैनिक भास्कर, सीकर, बुधवार का 13 (देश–विदेश) नम्बर का पृष्ठ पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कागज की चिट में सिलकर नोटो के साथ सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि मौके पर रेलवे स्टेशन तथा आम लोगों की आमद रफत ज्यादा होने अत्यधिक भीड हो चुकी है जिससे मौके पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिये अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष निवेदन किये गये। निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पर पहुंचकर की जानी है इसलिये बरामदा रिश्वत राशि मय अखबार तथा आर्टिकल्स को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाकर ट्रेप बॉक्स को सरकारी वाहन में रखवाया जाकर हमराहियान जाब्ते को ट्रेप बॉक्स की निगरानी की आवश्यक हिदायत की गई तथा मौके पर उपस्थित श्री मणिप्रकाश मीणा को उक्त वाहन के दस्तावेजात बाबत पूछा तो उन्होंने मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स नम्बर आरजे 14 एसएक्स 6796 की मूल आरसी प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन किया तो उक्त आरसी पर होल्डर का नाम प्रेम नारायण मीणा होना पाया गया। जिसके बारे में श्री मणिप्रकाश ने बताया कि यह मोटरसाईकिल मैं ही उपयोग में लेता हूं। चूंकि अग्रिम कार्यवाही निर्देशानुसार ब्यूरो मुख्यालय पर जाकर की जानी है इसलिये श्री मणिप्रकाश मीणा को ब्यूरो मुख्यालय चलने हेतु कहा तो श्री मणिप्रकाश मीणा ने कहा कि अभी मैं रात्रि 10 बजे तक ड्यूटी पर हूं मैं कल प्रातः आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर श्री मणिप्रकाश मीणा को उक्त मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स नम्बर आरजे 14 एसएक्स 6796 सुरक्षित अवस्था में सुपुर्द की गई तथा दिनांक 20.07.2023 को अव्वल वक्त पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते, स्वतंत्र गवाहन तथा आरोपी श्री विकास कुमार मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर तथा जब्तशुदा आर्टिकल्स के साथ सरकारी वाहन से मौके से रवाना होकर समय 4:35 पीएम पर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा। जहां पर डिटेनशुदा आरोपी श्री विकास कुमार मीणा को जाब्ते की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया। ट्रेप बॉक्स को कार्यालय की आलमारी मे रखवाया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री विकास कुमार मीणा से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के कार्य के सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि अप्रेल 2019 तक बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर मेरे पदस्थापन अवधि का श्री वसीम कुरेशी की फर्म का माह फरवरी–मार्च 2019 का बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई का बिल पैण्डिंग है। वसीम की फर्म के द्वारा किये गये सफाई कार्य की परफोरमेंस सीट पहले से मेरे द्वारा भरी हुई थी। जिसके आधार पर ही श्री लखनराम मीणा को बिल बनाना था। मेरे बादीकुई पदस्थापन के समय तक इनकी फर्म द्वारा सफाई कर्मचारियों का पेंमेंट नहीं किया गया था इस कारण मेरे द्वारा उक्त बिल नहीं बनाया गया था। मेरे स्थानान्तरण के बाद श्री लखनराम के द्वारा इनका बिल बनाना था। बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक मेरे जीजा के बडे भाई श्री लखन राम मीणा जी लगे हुये है, श्री वसीम की फर्म का बिल बांदीकुई में उन्हीं के कार्यालय से पास होकर डीआरएम कार्यालय से भुगतान होना है। श्री वसीम की फर्म द्वारा सफाई कर्मचारियों को पेमेंन्ट नहीं किया गया था इस कारण सफाई कर्मचारियों से उक्त बिल का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था जिस कारण से उक्त बिल पैण्डिंग था। डीआरएम कार्यालय, जयपुर से श्री लखन राम मीणा के पास उक्त फर्म के बिल के सम्बंध में कर्मचारियों के नगद भुगतान के वेरिफिकेशन के सम्बंध में पत्र प्राप्त हुआ था जिसे श्री लखन राम मीणा ने मुझे दिनांक 27.06.2023 को व्हाट्स एप्प किया था। इसके सम्बंध में मैं दिनांक 14.07.2023 को बांदीकुई गया था बांदीकुई जाने से पहले मैंने वसीम को भी बांदीकुई पहुंचने के लिये कहा था। वसीम मेरे से उक्त बिल उनसे पास करवाने के लिये बार–बार कह रहा था। मैंने मेरे जीजाजी के बडे भाई श्री लखन राम जी से वसीम के उक्त बिल के सम्बंध में वार्ता भी की थी। दिनांक 14.07.2023 को मैं भी बांदीकुई जा रहा था तब वसीम भी मेरे से रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिये आया था तथा वसीम ने मुझे कहा कि आप बांदीकुई जा रहे हो तो मेरा बिल श्री लखनराम जी से दिखवाकर फर्म के सफाई कर्मचारियों के पेंमेंन्टस से सम्बंधित जो भी कमियां है वो चैक करवा दो ताकि मैं वो

कमियां क्लीयर कर सकूं, जिससे की मेरा बिल पास हो सके। मैंने वसीम से बिल पास करवाने के सम्बंध में कोई पैसो की मांग नहीं की है। फर्म द्वारा वहां के सफाई कर्मचारियों का पेमेंट नहीं किया गया था इस कारण से उक्त फर्म का बिल रूका हुआ था। जिसका वेरिफिकेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा करवाना था। मैंने वसीम को दिनांक 14.07.2023 को कहा था कि आज रात हो चुकी है अब काम नहीं होगा आप कल यहीं पर रूक जाना जिससे कल आपके समक्ष ही सफाई कर्मचारियों से वेरिफिकेशन हो जायेगा। आरोपी श्री विकास कुमार मीणा के मोबाईल फोन में श्री लखन राम मीणा द्वारा 27.06.2023 को परिवादी की फर्म से सम्बन्धित भेजा गया पत्र का लेपटॉप से जोड़कर प्रिन्ट लिया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री वसीम ने बताया कि हमारी फर्म ने सभी सफाई कर्मचारियों को नगद/बैंक अकाउण्टस से पेंमेंट कर दिया है। कोई पेंमेंट पैण्डिंग नहीं है। हमारी फर्म का उक्त बिल केवल तत्कालीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के हस्ताक्षर होने हेतु लम्बित चल रहा है। उक्त हस्ताक्षर करने के लिये ही श्री विकास कुमार मीणा तथा श्री लखन राम मीणा मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसी के क्रम में आज श्री विकास कुमार मीणा ने मुझसे रिश्वत प्राप्त की है।

मामले में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.07.2023, 16.07.2023, 18.07.2023 तथा आज दिनांक 19.07.2023 की रिश्वत राशि आदान–प्रदान वार्ता के दौरान परिवादी तथा आरोपी श्री विकास कुमार मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर के मध्य हुई वार्ता से आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा परिवादी की फर्म के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य के लम्बित बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर प्राप्त किया जाना स्पष्ट हुआ है एवं दिनांक 04.07.2023, 07.07.2023 एवं दिनांक 14.07.2023 को हुये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी श्री लखन राम मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई द्वारा परिवादी की फर्म के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य के लम्बित बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत की मांग किया जाना स्पष्ट हुआ। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.07.2023, 07.07.2023, 14.07.2023 एवं 16.07.2023, 18.07.2023 तथा आज दिनांक 19.07.2023 को हुई रिश्वत राशि आदान–प्रदान वार्ता से आरोपीगण श्री विकास कुमार मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर तथा श्री लखन राम मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई द्वारा परस्पर अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी श्री वसीम कुरेशी से उसकी फर्म इंसाफ अली एण्ड कम्पनी के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य के लम्बित बिल पास करवाने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 80,000/–रूपये की मांग कर आज दिनांक को आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा दौराने कार्यवाही परिवादी से स्वयं तथा आरोपी श्री लखनराम मीणा के लिये 40,000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। आरोपी श्री लखन राम मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई, दौसा की भी आरोपी श्री विकास कुमार मीणा से अवैध रूप से मिलीभगत किया जाना तथा परिवादी से उसके लम्बित कार्य की एवज में रिश्वत की मांग करना पाया जाने से आरोपी श्री लखन राम मीणा को तलब करने हेतु आरोपी श्री लखन राम मीणा के मोबाईल नम्बर 9001199541 पर सम्पर्क किया तो उक्त आरोपी का मोबाईल स्वीच ऑफ होना पाया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री विकास कुमार मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 45 साल निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी क्वार्टर नम्बर 124–बी, रेलवे कॉलोनी सीकर हाल मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर (उत्तर–पश्चिम रेलवे) तथा आरोपी श्री लखन राम मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई, दौसा द्वारा परस्पर अवैध रूप से मिलीभगत करना तथा आरोपीगण द्वारा परिवादी की फर्म के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य के लम्बित बिल पास करवाने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 80,000/– रूपये की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 19.07.2023 को आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा परिवादी श्री वसीम कुरेशी से उसकी फर्म इंसाफ अली एण्ड कम्पनी के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य के लम्बित बिल पास करवाने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 80,000/– रूपये की मांग कर आज

दिनांक को आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा दौराने कार्यवाही परिवादी से स्वयं तथा आरोपी श्री लखन राम मीणा के लिये 40,000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। जिस पर आरोपीगण श्री विकास कुमार मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर तथा श्री लखनराम मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, बांदीकुई, दौसा का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120बी भादंसं में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री विकास कुमार मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर के विरूद्ध उपरोक्त अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की गई।

घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष प्रकरण में रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में आरोपीगण से हुई वार्ताओं तथा रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय परिवादी तथा आरोपी विकास कुमार मीणा के मध्य हुई वार्ताओं की पहचान परिवादी श्री वसीम कुरैशी द्वारा की जाकर एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाजें आरोपीगण श्री विकास कुमार मीणा व श्री लखन राम मीणा की होने की पहचान कर स्वीकार किया। उक्त रूपान्तरण वार्तालाप को परिवादी से पूछ पूछकर सम्बंधित वॉईस क्लिप से शब्द ब शब्द मिलान किया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय कम्प्यूटर से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वाईस क्लिप को बारी–बारी से पॉच अलग–अलग डीवीडीयों मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप डीवीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी पॉच डीवीडीयों पर मार्क अंकित कर एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के लिये खुली रखी जाकर शेष चार डीवीडी पर सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डीवीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे उक्त मेमोरी कार्ड, जिसमें उक्त सभी वार्ताओं की वॉयस क्लिप सेव है को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी पर टेप चिपकाकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडें की थेली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का अंकित कर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की ब्यूरो कार्यालय में फर्द वार्ता रुपान्तरण रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेन–देन वार्ता व बर्न डीवीडी पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री विकास कुमार मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 45 साल निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी क्वार्टर नम्बर 124–बी, रेलवे कॉलोनी सीकर हाल मुख्य स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर (उत्तर–पश्चिम रेलवे) तथा आरोपी श्री लखन राम मीणा पुत्र श्री कद्दूराम मीना, जाति मीना, उम्र 49 साल, निवासी ग्राम कमलपुरिया डोरवाली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, हाल मुख्य स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई, दौसा द्वारा परस्पर अवैध रूप से मिलीभगत करना तथा आरोपीगण द्वारा परिवादी की फर्म के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य के लम्बित बिल पास करवाने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 80,000/– रूपये की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 19.07.2023 को आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा परिवादी श्री वसीम कुरेशी से उसकी फर्म इंसाफ अली एण्ड कम्पनी के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य के लम्बित बिल पास करवाने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 80,000/– रूपये की मांग कर आज दिनांक को आरोपी श्री विकास कुमार मीणा द्वारा दौराने कार्यवाही परिवादी से स्वयं तथा आरोपी श्री लखन राम मीणा के लिये 40,000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर एक अखबार में रखवाकर परिवादी से रेल्वे स्टेशन जयपुर पर एसबीआई बैंक के पास गैलेरी में खड़ी मोटरसाइकिल में रखवा दी गई, जहां से बरामद होना प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता में कारित किया जाना प्रमाणित पाये जाने से

श्री विकास कुमार मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 45 साल निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी क्वार्टर नम्बर 124–बी, रेलवे कॉलोनी सीकर हाल मुख्य स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर (उत्तर–पश्चिम रेलवे) तथा आरोपी श्री लखन राम मीणा पुत्र श्री कद्दूराम मीना, जाति मीना, उम्र 49 साल, निवासी ग्राम कमलपुरिया डोरवाली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, हाल मुख्य स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई, दौसा के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री विकास कुमार मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा, हाल मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, रेलवे स्टेशन, सीकर (उत्तर-पश्चिम रेलवे) तथा 2. श्री लखन राम मीणा पुत्र श्री कद्दूराम मीना, हाल मुख्य स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, रेलवे स्टेशन बांदीकुई, दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 199/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21/7/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-2398-2401 दिनांक 21.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-जयपुर, मण्डल रेल प्रबंधक, कार्यालय उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

21/7/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।